कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

क्रमांक/MPLRS/PMKISAN/2024 /363 भोपाल, दिनांक 07/10/2024

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिला
मध्यप्रदेश

विषय -पीएमकिसान पोर्टल पर सैल्फ रजिस्टर्ड प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

विषयांतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नियत प्रक्रिया अनुसार सारा पोर्टल के माध्यम से हितग्राही परिवारों के चिन्हांकन उपरांत हितग्राहियों की जानकारी पीएमकिसान पोर्टल की ओर एपीआई/एक्सएमएल के माध्यम से प्रेषित की जाती थी।

वर्तमान में एपीआई/एक्सएमएल के माध्यम से हितग्राहियों की जानकारी को पीएमकिसान पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है एवं हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु पीएमकिसान पोर्टल पर पृथक सुविधा विकसित की जा रही है, जिसमें समय लगना संभावित है।

अत: एपीआई/एक्सएमएल के माध्यम से डाटा शेयरिंग की सुविधा पुन: प्रारंभ होने तक पीएमकिसान पोर्टल पर सैल्फ रजिस्टर्ड हितग्राहियों के निराकरण हेतु अनुमति दी जाती है, जिससे हितग्राहियों के पंजीयन समय-सीमा में पूर्ण हों सकें एवं सैल्फ रजिस्टर्ड किसानों का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(अनुभा श्रीवास्तव)
आयुक्त भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/MPLRS/PMKISAN/2024 /363 भोपाल, दिनांक 07/10/2024

प्रतिलिपि-

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।

आयुक्त भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner